संख्याः 184 /XI /05/56(71)/2003

प्रेषक,

पी0 एस0 जंगपांगी
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तरांचल पौड़ी

ग्राम्य विकास अनुभागः देहरादूनः दिनांक 25 फरवरी, 2005

विषयः सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 हेतु द्वितीय किश्त के रूप में आवंटित केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4068 दिनांक 27-01-2005 एवं पत्र संख्या 4080 दिनांक 01.02.2005 तथा शासनादेश संख्या 08/XI /04/56(71)/2003/04 दिनांक 18.02.2005 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 2004-05 में द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या डी-24015/26/2004-एस.जी.आर.वाई.-I कमांक-166 दिनांक 06.01.2005 समसंख्यक पत्र कमांक-151 दिनांक 23.12.2004 एवं कमांक-141 दिनांक 17.12.2004 के द्वारा उत्तरांचल राज्य के तीन जनपदों को आवंटित केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष देय राज्यांश के रूप में रूपये 1,32,07,000-00 (रू0 एक करोड़ बत्तीस लाख सात हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के तहत् व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपयों में)

क्र.स.	जनपद का नाम	केन्द्रांश की धनराशि	राज्यांश की धनराशि	राज्यांश की धनराशि का वर्ग वार विभाजन		
				अनु0जाति अंश	जनजाति अंश	सामान्य अंश
01	हरिद्वार	197.45	65.82	12.51	2.63	50.68
02	पिथौरागढ़	138.66	46.22	8.78	1.85	35.59
03	ऊधमसिंहनगर	60.09	20.03	3.81	0.80	15.42
	योगः-	396.20	132.07	25.10	5.28	101.69

(रू0 एक करोड़ बत्तीस लाख सात हजार मात्र)

2. उक्त धनराशि का आहरण यथा आवश्यक स्वीकृत परिव्यय की सीमा तक ही किया जायेगा । धनराशि का दोहरा आहरण होने की स्थिति में संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा ।

3- उक्त धनराशि का आवंटन वर्तमान नियमों / आदेशों तथा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा । धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जायेगा ।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय- समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों/ गाइडलाईन्स के अनुसार योजना के अंतर्गत किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समय से भारत सरकार / राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाय । धनराशि का एक मुश्त आहरण न कर आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जायेगा ।

5- कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का समस्त दायित्व सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी का होगा ।

6- कार्य करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूलस/ डी.जी.एस. एण्ड डी. अथवा टैन्डर/कुटेशन विषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

क्रमशः...2

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं एवं परिव्यय के अनुसार ही किया जायेगा ।

8- धनराशि का उपयोग 31.03.2005 तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा और पूर्ण उपभोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार व भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा ।

9- उक्त पैरा 2 से 8 तक में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात नियंत्रक / मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे । यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि सूचना सम्पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय ।

10- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या 19 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम- -01- समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम- आयोजनागत- 800- अन्य व्यय - 02- अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-05- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना(75प्रतिशत केन्द्रीय सहायता) (जिला योजना)- 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता से रूपये 25,10,000-00, 91-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-09-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना(75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)(जिला योजना)-42- अन्य व्यय से रू0 1,01,69,000-00 तथा लेखा शीर्षक-2505- ग्राम रोजगार- -01-राष्ट्रीय कार्यक्रम - आयोजनागत -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए -03-सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना(75प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)(जिला योजना)-20-सहायक अनुदान-अंशदान/राजसहायता से रूपये 5,28,000-00 की सुसंगत इंकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

11- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1304 / वित्त अनुभाग-2/2005 दिनांक 24 फरवरी,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(पी0 एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव

संख्याः 184 /XI /05/56(71)/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)उत्तरांचलसहारनपुर रोड माजरा, देहरादून
2- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी , उत्तरांचल ।
3- निदेशक, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना -एक एवं दो , ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली ।
4- आयुक्त गढ़वाल/ कुमायूँ मण्डल ।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण उत्तरांचल ।
7- सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी , उत्तरांचल ।
8- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तरांचल, 23- लक्ष्मी रोड देहरादून ।
9- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र उत्तरांचल देहरादून ।
10- निजी सचिव- मा. मुख्यमंत्री उत्तरांचल को मा. मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ
11- वित्त अनुभाग- दो ।
12- नियोजन विभाग ।
13- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(पी0 एस0 जंगपांगी)
अपर सचिव ।